राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2024/421

दिनांक: 5 जून, 2024

परिपत्र

राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF & AR) के नियमों/प्रावधानों की निगम में प्रायोज्यता के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक 4269 दिनांक 06.10.2022 जारी किये गये हैं, जिसमें निर्देशित किया गया है कि निगम के समस्त वित्तीय संव्यवहार पूर्वानुसार ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नियम, 1964 तथा "Manual of Finance Department, RSRTC" एवं समय-समय पर निगम द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पादित किये जावें।

राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF & AR) के नियमों/प्रावधानों की निगम में प्रायोज्यता के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्ग-दर्शन चाहने पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.16(6)/ परि/2022(5582) दिनांक 02.08.2023 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "निगम की व्यावसायिक गतिविधियों तथा सामान्य प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए निगम के वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी प्रावधान होंगे इसके अन्तर्गत निगम के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नियम, 1964 तथा The RSRTC Manual of Finance Department हैं जिसमें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम प्रकियाएं निर्धारित हैं। परन्तु निगम की व्यावसायिक गतिविधियों तथा सामान्य प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी नियम/प्रावधान उक्त नियम एवं मैन्यूअल में नहीं हैं, ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार के वित्त विभाग के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) के प्रावधान लागू रहेंगे एवं इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग से पूर्व की भांति मार्ग-दर्शन प्राप्त किया जावेगा।"

अतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय संव्यवहार सम्बन्धी नियम/प्रावधान जो "Manual of Finance Department, RSRTC" में नहीं हैं, ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार के वित्त विभाग के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) के प्रावधान निगम में लागू रहेंगे एवं इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग से पूर्व की भांति मार्ग-दर्शन प्राप्त किया जावेगा।

(श्रेया गुहा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :–एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2024/421 दिनांकः– 5 जून 2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.नि..............................जोन।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0...।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, ...।
10. रक्षित पत्रावली।

(श्री रामगोपाल पारीक)
वित्तीय सलाहकार